फर्द अहकाम

[नियम 26]

...ालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर   मुकाम अलवर

.... बनाम ....

...कदमा ....नं० ....सन् ....

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	10-1-24 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित है बहस सुनी गई निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय प्रति पृथक से तहसीलदार अलवर को भिजवाई जाकर पत्रावली नम्बर से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। [signature] उपखण्ड अधिकारी अलवर	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री प्रतिक जुईकर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03 / 36	08.12.2021	136 LR Act	10.01.2024

बउनवान

01:–सुरेश पुत्र गोविन्दराम निवासी ग्राम माचाडी तहसील राजगढ जिला अलवर हाल निवासी ग्राम रूंधमाच तहसील व जिला अलवर

––प्रार्थी

बनाम

01:–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मालाखेडा

असल अप्रार्थी

02:–तारा पत्नी स्व0 विश्राम

03:–मुकेश पुत्र गोविन्द राम

04:–मन्नी देवी पत्नी सीताराम

05:–मन्नो देवी पत्नी गोविन्द राम निवासीयान ग्राम माचाडी तहसील राजगढ जिला अलवर हाल निवासी ग्राम रूंधमांच तहसील व जिला अलवर **तरतीवी अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 14 मिन रकबा 4 बीघा हाल खसरा नम्बर 39 रकबा 40 ऐयर, 40 रकबा 11 ऐयर, 41 रकबा 31 ऐयर, 42 रकबा 19 ऐयर वाके ग्राम रूंधमांच तहसील व जिला अलवर के पूर्व मे खातेदार मिन प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी स0 2 व 3 के पिता गोविन्दराम की खातेदारी का था जिनका स्वर्गवास के पश्चात उनकी विरासत इंतकाल स0 1 दिनॉक 11–5–1994 को उनके वारिसान पत्नी मन्नोदेवी, विश्राम व मिन प्रार्थी के नाम स्वीकृत किया गया। उक्त इन्तकाल दिनॉक 11–5–1994 को स्वीकृत किया गया है उस वक्त मिन प्रार्थी काफी छोटा था और नाबालिग था जिस कारण मिन प्रार्थी का उक्त इन्तकाल का इंलम नही था इस दुरूस्ती से किसी व्यक्ति के किसी भी अधिकारी का

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

हनन नही हो रहा है। मिन प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम सुरेश है तथा यही नाम प्रार्थी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र तथा राशनकार्ड आदि मे भी सुरेश पुत्र गोविन्दराम दर्ज है परन्तु दौराने इन्तकाल मिन प्रार्थी का कोई दस्तावेज प्राप्त नही किया और सहबन से इन्तकाल के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे मिन प्रार्थी का नाम सुरेश पुत्र गोविन्दराम के स्थान पर गलती से रामवतार पुत्र गोविन्दराम अंकित कर दिया है जबकि मिन प्रार्थी का सही एंव वास्तविक नाम सुरेश पुत्र गोविन्दराम है।

उक्त गलत इन्द्राज से मिन प्रार्थी के हकूक जायल होने का खतरा है इसलिये हाल राजस्व रिकार्ड मे अंकित नाम "रामवतार" के स्थान पर सही एंव वास्तविक नाम "सुरेश" किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है कि जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है मिन प्रार्थी व तीरतीवी अप्रार्थी स0 2 व 3 मृतक रिकार्डड खातेदार काश्तकार गोविन्दराम के वारिसान है जिनका स्वर्गवास के पश्चात उसकी विरासत का इन्तकाल मिन प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी स0 2 व 3 तथा हमारी माताजी श्रीमती मन्नोदेवी के नाम खुला था तथा श्रीमती मन्नोदेवी की विरासत का इन्तकाल प्रार्थी व अप्रार्थी स 2 व 3 के नाम अभी दर्ज नही हो पा रहा है चूकि मिन प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात मे सुरेश नाम अंकित है इसलिये उक्त रिकॉर्ड की दुरूस्ती कराया जाना आवश्यक है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नम्बर 39 रकबा 40 ऐयर, 40 रकबा 11 ऐयर, 41 रकबा 31 ऐयर, 42 रकबा 19 ऐयर वाके ग्राम रूंधमांच तहसील व जिला अलवर के हाल राजस्व रिकॉर्ड मे जो प्रार्थी का नाम" रामवतार" अंकित किया गया है को कलमजन कर सही एंव वास्तविक नाम " सुरेश " दर्ज कर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा प्रदान करे। मुकदमा प्रार्थना पत्र पक्षकारान अदालत श्रीमान के सीमा क्षेत्र के है इसलिये यह प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के श्रवणयोग्य है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थीगणो द्वारा जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी के सभी कथनो को सही एंव सत्य करार दिया तथा उक्त संशोधन वास्ते अपनी सहमति प्रदान की गई तथा प्रकरण मे तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार अलवर ने रिपोर्ट कमांक एल. आर/2022/7726 दिनांक 10.08.2022 प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक नामान्तकरण स0 01 वाके ग्राम रूधमांच तहसील अलवर के द्वारा साबिक ख0 न0 14 रकबा 4 बीघा मे गोविन्दराम की विरासत का नामा0 मन्नोदेवी बेवा गोविन्दराम, विश्राम, रामवतार, मुकेश पि0 गोविन्दराम वारिसानो के नाम दर्ज होकर स्वीकार हुआ प्रार्थना पत्र मे अंकित साबिक ख0 न0 14 रकबा 4 बीघा के हाल ख0 न0 39/0.40 किस्म बारानी सोयम, 40/0.11 किस्म गै0मु0 नाला, 41/0.31 किस्म बारानी सोयम, 42/0.19 किस्म बारानी सोयम मुताबिक हाल जमाबन्दी वाके ग्राम रूंधमांच तहसील अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

के खाता स0 06 पर दर्ज होकर अन्य वारिसानो के साथ क0स0 06 पर रामावतार पुत्र गोविन्दराम के नाम दर्ज रिकार्ड है मुताबिक रिपोर्ट वाका दैनिक डायरी प0 ह0 कस्बाडहरा मौके पर जानकारी करने पर जाहिर आया कि रामवतार पुत्र गोविन्दराम नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम मे निवास नही करता जबकि सुरेश पुत्र गोविन्दराम जाति चमार ग्राम रूंधमाच तहसील अलवर मे निवास करता है जो सही हे प्रार्थी से सर्म्पक करने पर अवगत कराया गया कि नामा0 दर्ज करते समय प्रार्थी नाबालिग था और सहवन से प्रार्थी का नाम रामवतार दर्ज करवा दिया गया था प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न आधार कार्ड की प्रति, राशनकार्ड की प्रति, जनआधार कार्ड की प्रति मे प्रार्थी का नाम सुरेश पुत्र गोविन्दराम अंकित है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2) 1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न प्रा0पत्र, अप्रार्थीगण जबाव, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण मे निवेदित आराजी वाके ग्राम रूंधमांच तहसील अलवर के विरासत नामान्तकरण स0 01 वाके ग्राम रूधमांच तहसील अलवर के द्वारा साबिक ख0 न0 14 रकबा 4 बीघा मे गोविन्दराम की विरासत का नामा0 मन्नोदेवी बेवा गोविन्दराम, विश्राम, रामवतार, मुकेश पि0 गोविन्दराम वारिसानो के नाम दर्ज होकर स्वीकार हुआ तत्पश्चात साबिक ख0 न0 14 रकबा 4 बीघा के हाल ख0 न0 39/0.40 किस्म बारानी सोयम, 40/0.11 किस्म गै0मु0 नाला, 41/0.31 किस्म बारानी सोयम, 42/0.19 किस्म बारानी सोयम मुताबिक हाल जमाबन्दी वाके ग्राम रूंधमांच तहसील अलवर के खाता स0 06 पर दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड है शुद्विकरण के लिये उक्त संशोधन के सम्बन्ध मे वाछित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है तथा जिसका सत्यापन तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट से भी होता है।

अतः ऐसी स्थिति मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 मे पोषणीय होने के कारण प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम रूंधमांच तहसील अलवर के खाता स0 06 पर दर्ज प्रार्थी का नाम''

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

रामावतार" को कलमजन कर रामावतार के स्थान पर " सुरेश " दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 10-1-2024 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner